05/10/2023

पत्रावली पेश हुई । प्रथम पक्षकार ..... पक्षकार ..... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/11/2023 पेश हो ।

Hpres 9/11/2023

पत्रावली प्रस्तुत वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने प्रकरण को ~~विड्रॉ~~ करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारों में समझौता हो जाने से चलाना नहीं चाहते है तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किए । अतः प्रकरण नोट प्रेस में स्वीकृत किया जाता है पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)